भा.वा.अ.शि.प.–शुष्क वन अनुसंधान संस्थान
(भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्)
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की स्वायत्त संस्थान)
डाकघर–कृषि उपज मण्डी, न्यू पाली रोड, जोधपुर–342005
I.C.F.R.E.-ARID FOREST RESEARCH INSTITUTE
(Indian Council of Forestry Research & Education,
An Autonomous Body of the Ministry of Environment, Forests & Climate change, Govt. of India)
PO: Krishi Upaz Mandi, New Pali Road, Jodhpur – 342 005
Tel. No. 0291-2722549 (O)/2722764 (Fax)

क्रमांक 38 /शुअवसं/सुएवंसेप(संपदा प्रभाग)/185-II/भंडार/2025 दिनांकः 11 /08/2025

घास नीलामी की सूचना एवं शर्तें

भा.वा.अ.शि.प. शुष्क वन अनुसंधान संस्थान (आफरी) के भूखण्ड संख्या 729 परिसर एवं विभिन्न प्रायोगिक क्षेत्रों में उगी घास की खुली नीलामी हेतु नीलामी दिनांक 12.08.2025 को अपराह्न 3.00 बजे सामुदायिक भवन (नीलामी स्थल) में होनी है। इच्छुक व्यक्ति जो नीलामी में भाग लेना चाहते हो वे मौके पर व्यक्तिशः उपस्थित रहकर रूपये 2000.00 धरोहर राशि नकद जमा करवा कर प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। सर्व साधारण से अनुरोध है कि बोली लगाने से पहले संबंधित जगहों पर उगी घास का मौका मुआयना हेतु कार्यालय समय प्रातः 9.00 बजे से सांय 5.30 बजे तक श्री जुगल किशोर गौड, वन रक्षक मोबाईल नम्बर 8386003113 संपदा प्रकोष्ठ से संपर्क कर सकते है। नीलामी की प्रक्रिया निम्नलिखित शर्तों के साथ नीलामी स्थल पर उपस्थित समिति के समक्ष की जायेगीः–

नीलामी की शर्तेः–

1. नीलामी में भाग लेने के लिए दिनांक 12.08.2025 को दोपहर 03.00 बजे से भाग ले सकते है। सफल क्रयकर्ता की धरोहर राशि घास काटने के आदेश की तिथि समाप्त होने के बाद ही लौटायी जायेगी। असफल बोलीदाताओं को धरोहर राशि बोली प्रकिया समाप्ति पर ही लौटा दी जायेगी।
2. सफल क्रयकर्ता को कुल राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में निदेशक, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर के पक्ष में बना कर दिनांकः 14.08.2025 को दोपहर 03 बजे तक को कार्यालय समय में निदेशक, शुवअसं, जोधपुर के पक्ष में बना कर लेखा शाखा में रसीद प्राप्त कर भंडार अनुभाग में रसीद जमा करवाने पर कार्यदेश जारी किया जायेगा। घास नीलामी की पूरी रकम जमा होने के बाद घास काटने का आदेश जारी कर दिया जायेगा।
3. सफल बोलीदाता द्वारा कुल राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट दिनांकः 14.08.2025 को दोपहर 03 बजे तक को कार्यालय समय में भंडार में जमा नहीं करवाने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जाऐगी। प्रत्येक क्षेत्र की घांस के लिए अलग अलग बोली प्रस्तुत करनी होगी।
4. जिन क्षेत्रों में घास कटाई का आदेश दिया जाएगा, उन्हे एक किनारे से आरम्भकर समान रूप से सभी प्रकार की घास को जड़ के पास से काटते हुए आगे बढ़ना होगा। छोड़–छोड़ कर घांस काटने की अनुमति नहीं होगी।
5. घास काटने के औजार एवं घास को ले जाने के साधन की व्यवस्था क्रयकर्ता को स्वयं करनी होगी।
6. भंडार अधिकारी द्वारा कार्यदिश जारी किया जायेगा और कार्यदिश के दिन से 45 दिन की अवधि तक घास की कटाई पूरी करनी होगी। कटाई एवं ले जाने के संबंध में समयावधि बढ़ाई नहीं जाएगी।
7. घास काटने का समय प्रातः 7.00 बजे से सांय 6.00 बजे तक रहेगा।
8. घास नीलामी के क्षेत्रों में केवल घास काटने की ही इजाजत दी जाएगी व मवेशी चराने की इजाजत नहीं होगी। वहां उगे पेड़–पौधों को कोई नुकसान नहीं किया जायेगा, अन्यथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा विवेकानुसार क्षतिपूर्ति बतौर जुर्माना वसूल किया जाएगा। जिसमें जमानत राशि जब्त किया जाना भी सम्मिलित होगा। साथ ही भविष्य में होने वाली घास नीलामियों में भाग लेने से वंचित कर दिया जायेगा।
9. आवासीय परिसरों में से घास काटने के पूर्व वहां के रहवासी को सूचित करना होगा।
10. सभी प्रायौगिकी क्षेत्रों में संबंधित प्रभागों द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की उपस्थिति में घास काटी जायेगी।
11. घास की नीलामी की आमंत्रित दर को स्वीकार करने, बिना कोई कारण बताये निविदा निरस्त करने, नीलामी निरस्त करने एवं आगे बढ़ाने का अधिकार संस्थान के निदेशक के पास सुरक्षित है।

12. नीलामी के लिए समिति द्वारा निर्धारित नयी न्यून्तम दरे निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	घास का विवरण "जहाँ है जैसा है के आधार पर"
1.	729 आवासीय परिसर (न्यून्तम दर 4,500.00)
2.	वन संरक्षण प्रभाग (न्यून्तम दर 6,000.00)
3.	वन आनुवंशिकी प्रभाग बबूल प्रा. क्षेत्र (न्यून्तम दर 9,600.00)
4.	वन आनुवंशिकी प्रभाग रोहिडा प्रा. क्षेत्र (न्यून्तम दर 5,100.00)
5.	वन आनुवंशिकी प्रभाग आवंला प्रा.क्षेत्र (न्यून्तम दर 4,800.00)
6.	वन पारिस्थितिकी एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग (न्यून्तम दर 30,000.00)

11/8/25
(जे. पी. दाधीच)
भंडार अधिकारी,
शुष्क वन अनुसंधान संस्थान,
जोधपुर

प्रति सूचनार्थः-

1 आहरण एवं संवितरण अधिकारी, भा.वा.अ.शि.प. शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर-नियत तिथि एवं समय पर राशि जमा करने हेतु लेखा शाखा के किसी कार्मिक की उपस्थिति सुनिश्चित करायें।

2 प्रभारी अधिकारी, सुचना एवं प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ, भा.वा.अ.शि.प. शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर- आप से अनुरोध है कि सूचना को वेबसाईड पर अपलोड करने का श्रम करें।

3 गोशालाओं तथा संस्थान के आस पास के प्रायोगिक क्षेत्रों के रहने वाले किसानों, गत पांच वर्ष के नीलामी में बोलीकर्ताओं को वितरण।

4 श्री जुगल किशोर गौड़, वनरक्षक, सम्पदा प्रकोष्ठ

5 नोटिस बोर्ड, भंडार अधिकारी

6 गार्ड संचिका